न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 40/2019

RCMS Case No. : 2019/00148

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला पाली		1. अभयराज पुत्र रामपाल पदावत निवासी खरवा हाल किसान मेडिकल एजेन्सी, ब्यावर, जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) सपठित नियम 20 (2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. सरकारी पैरोकार
2. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14.10.2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) सपठित नियम 20 (2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सबलपुरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 418/1 रकबा 0.0150 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 दांती तथा खसरा नम्बर 418/2 रकबा 0.1138 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 दांती की भूमि अप्रार्थी के नाम उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा छोटी पट्टी हेतु भूमि नियमन की गई। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात तीन वर्षों तक अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार की काश्त नहीं की गई। मौके पर चार खसरों की भूमि को एक चक में करते हुए चारदीवारी की गई हैं। अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर काश्त नहीं की जा रही हैं। उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 दांती है तथा मौके पर चट्टाने होकर भूमि नाकाबिल काश्त हैं। अप्रार्थी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन शर्तों की पालना नहीं की जा रही हैं, जो कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अप्रार्थी के पक्ष में हुए आवंटन/नियमन को अपास्त कराते हुए भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कराने का निवेदन किया।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में जिस आराजी को विवादित दर्शाया गया है, उक्त भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा काश्त होने के कारण अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा जिन आदेशों का जिक्र किया गया है, उनमें से एक आदेश के जरिये अप्रार्थी के पक्ष में कुंआ हेतु भूमि का नियमितिकरण किया गया है तथा दूसरे आदेश के जरिये उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त होने के कारण आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में भूमि का कीमतन नियमन किया गया हैं। नियमन शुल्क की जो राजकीय राशि दर्शाई गई, वह राशि अप्रार्थी द्वारा जरिये चालान राजकोष में जमा करवाए हैं। जहां तक उक्त भूमि के नाकाबिल काश्त होने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मौके पर रजगा बोया हुआ है, इससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त आराजी काबिल काश्त है, जिसका विधिवत नियमितिकरण किया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा भूमि की सुरक्षा हेतु पडौसी खातेदार की खातेदारी भूमि की निरन्तरता में दीवार निर्माण किया गया है, इस कारण प्रथम दृष्टया उक्त भूमि एक चक में दिखाई देती है, जबकि वास्तविकता अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थी ही काबिज काश्त है, जिसका पुख्ता प्रमाण पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट है, जिसमें उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हैं। चूंकि भूमि का उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा नियमितिकरण किया गया था, इस कारण प्रथमतः तो नियम 14 (4) के प्रावधान प्रकरण हाजा पर लागू ही नहीं होते। द्वितीयक प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण अथवा तथ्य ही दर्शित नहीं किया, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी के पक्ष में कपटपूर्वक नियमन आदेश पारित किया गया हो। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरित होने से खारिज़ योग्य हैं। अप्रार्थी के पक्ष में नियमितिकरण के आदेश जारी किए गए थे, जिसकी पालना में अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जाना था, किन्तु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नियत से आज भी अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें एवं अप्रार्थी के नाम उक्त भूमि बतौर खातेदारी दर्ज कराने का आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम सबलपुरा के खसरा नम्बर 418/1 रकबा 0.0150 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 दांती तथा खसरा नम्बर 418/2 रकबा 0.1138 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 दांती की भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार अभयराज पुत्र रामपाल पदावत सा0 खरवा ब्यावर, हाल सबलपुरा के नाम बतौर गैर खातेदारी दर्ज हैं। रेकर्ड के अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक/राज./98/87 दिनांक 22.09.1998 एवं आदेश क्रमांक/राजस्व/98/2530 दिनांक 13.10.1998 की पालना में अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई हैं। उक्त आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त होने तथा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अधिनियम 91 के तहत कार्यवाही की जाती रही। इस भूमि का अपने पक्ष में नियमितिकरण की कार्यवाही हेतु अप्रार्थी द्वारा आवटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर आवंटन नियमन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी के पक्ष में नियमितिकरण की अनुशंषा करने पर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी के पक्ष में कीमतन नियमन की गई। जिसकी राशि भी अप्रार्थी द्वारा जरिये चालान संख्या 234 दिनांक 28.09.1998 के जरिये राजकोष में जमा करवाई गई। विधि अनुसार आवंटन होने की दशा में आवंटन शर्तो की पालना करने पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान है, किन्तु नियमन के प्रकरण में उक्त स्थिति भिन्न हैं। चूंकि नियमितिकरण के प्रकरण में भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होने के कारण ही निर्धारित मानकों की पूर्ति करने के कारण नियमन किया जाता है तथा नियमितिकरण के पश्चात गैर खातेदार दर्ज न किया जाकर सीधे ही खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान हैं। प्रकरण हाजा में विभागीय कार्मिकों की त्रुटी के कारण अप्रार्थी का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी दर्ज होनी थी। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को नाकाबिल काश्त बताया है, जबकि पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.05.2019 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि पर सम्वत् 2073 से 2075 तक की गिरदावरी में कात दर्ज है तथा वक्त निरीक्षण भी उक्त भूमि के आंशिक हिस्से पर रजगा बोया हुआ हैं। इस कारण प्रार्थी के इस कथन का कोई आधार नहीं है कि उक्त भूमि काश्त योग्य नहीं हो। मात्र खातेदारी दर्ज नहीं होने को आधार बनाते हुए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जो विभागीय त्रुटी के कारण होने से भी पोषणीय नहीं पाया जाता हैं। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारीयों की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नही होना चाहिये।" इसके अतिरिक्त आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है।" यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी आवंटन के लगभग 21 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया हैं। इन समस्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) सपठित नियम 20 (2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ किया जाता हैं तथा अप्रार्थी के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पक्ष में हुए नियमन आदेश क्रमांक/राज./98/87 दिनांक 22.09.1998 एवं आदेश क्रमांक/राजस्व/98/2530 दिनांक 13.10.1998 की पालना में अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज करने के आदेश दिए जाते हैं। इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

14/X/19

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/X/19

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली